न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 140 / 2019
जीसीएमएस संख्या 2019 / 00361

निर्णय दिनांकः– 25-08-25

1. वेदप्रकाश पुत्र स्व. श्री चन्द्रभान जाति मदान निवासी बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. मीठन खां पुत्र टबोब खां जाति मुसलमान निवासी चक 15 केजेडी खाजूवाला।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28–03–1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मुकाम बीकानेर।

उपस्थितिः–
1. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट्।
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मुकाम बीकानेर् के आदेश दिनांक 28–03–1998 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र वरियता में नहीं आने के कारण खारिज किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा तहसील खाजूवाला के चक 15 केजेडी के मुरब्बा नंबर 146/8 की भूमि विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28–03–1998 को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि विशेष आवंटन हेतु निर्धारित नियमों के अन्तर्गत अपीलांट की द्वितीय वरियता होने के कारण प्रथम वरियता के आवेदक श्री मिठन खां पुत्र टबोब खां जाति मुसलमान निवासी सामरदा को आवंटन किया गया है। अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलांट द्वारा समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर उसकी प्रथत वरियता बनती थी। लेकिन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वरियता निर्धारण नहीं कि जाकर एकतरफा तौर पर वरियता निर्धारित कर अपीलांट को द्वितीय वरियता में रखकर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फारमाया जावे तथा रकबा पुनः लोटरी सिस्टम आवंटित किया जावे या बोली लगाकर रकबा आवंटन का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है मियाद के संबंध में प्रार्थना पत्र में लिखा है कि अपीलांट दिनांक 28–07–2019 को खाजूवाला में गया आवेदन खोजा गया कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला से पता चला की कागजात बीकानेर है बीकानेर जाने पर अपीलांट को पता चला की अपीलांट का रकबा दिनांक 28–05–1998 को निरस्त कर दिया है उसके बाद नकल लेने का आवेदन दिनांक 29–07–2019 को पेश किया जो नकल दिनांक 02–08–2019 को प्राप्त हुई उसके बाद अपीलांट रकम में इंतजाम में जुट गया। ईलम से अपील बिना किसी देरी से न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा हूँ मियाद कंडोम करते हुए अपील अंदर शुमार फरमाई जाने का कथन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–05–1998 के विरूद्ध अपील दिनांक 03–09–2019 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट मियाद पर ही खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश की नकल में अंकित 9 कॉलम मुहर के अनुसार अपीलांट द्वारा नकल हेतु दिनांक 29—07—2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया और अपीलांट को 02—08—2019 को नकल जारी कि गई। अपीलांट ने नकल प्राप्त करने के एक माह बाद अपील प्रस्तुत कि है के संबंध में कोई ठोस सबूत / कारण नहीं बताये है इसके अतिरिक्त अपील प्रस्तुत करने की अवधि नकल प्राप्त करने की दिनांक से ही मानी जावे तो नकल 02—08—2019 को प्राप्त की और अपील 03—09—2019 को प्रस्तुत की है इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील 30 दिन की मियाद के बाद प्रस्तुत कि गई है। प्रथम तो अपील 21 साल बाद प्रस्तुत कि गई है द्वितीय प्रथम जानकारी के बाद भी अपील समय अवधि में पेश नही की गई है ऐसी स्थिति में मियाद अधिनियम की धारा 5 का लाभ अपीलांट्स को दिया जाना उचित नही समझते है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्पष्ट तौर मियांद बाहर प्रस्तुत किये जाने के बिन्दु पर खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मुकाम बीकानेर का आदेश दिनांक 28—05—1998 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 25.08-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर